न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
25/2018/प्रा.पत्र/2018	03.04.2018	08.08.2019

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1— खाध कारोबारकर्ता श्री बालचन्द शभनानी पुत्र मोहनदास शभनानी जाति सिन्धी निवासी श्याम मन्दिर के पास इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
2— मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक
3—श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी 17/58 वाटर वर्क्स के पास भगत सिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द ट्रेंडिग कम्पनी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0
4— मैसर्स गोविन्द ट्रेंडिग कम्पनी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0
5—श्री लवकेश चौपडा नॉमिनी मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ—957 रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर राज0
6— मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ—957 रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

दिनांक 08.08.2019

:—निर्णय—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.09.2017 को समय 2.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से श्री बालचन्द शभनानी पुत्र मोहनदास शभनानी जाति सिन्धी निवासी श्याम मन्दिर के पास इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)** जिसके बैच नं. एआरकेएमओ 09 एफ 08 व पैकिंग दिनांक 12.08.2017 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री बालचन्द शभनानी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता बालचन्द शभनानी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 12 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 1 लीटर पैक **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)**मे से 1—1 लीटर के 4 मूल पैक को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
890

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री बालचन्द शभनानी को रू0 400/–अक्षरे चार सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)** 1–1 लीटर पैक को एक–एक नग के बराबरा चार भाग तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1722 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1722 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. बालचन्द शभनानी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री बालचन्द शभनानी ने मौके पर **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)**बतोर वारन्टी मैसर्स गोविन्द ट्रेंडिग कम्पनी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 121 दिनांक 18.09.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स गोविन्द ट्रेंडिग कम्पनी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 ने मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ–957 रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर राज0का बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं. 190800005599 दिनांक 31.08.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4528 दिनांक 01.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/596/एक्ट/2017/596 दिनांक 29.09.2017 अनुसार बालचन्द शभनानी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf)(a)(i)(a) व 3(1) (zf)(b)(ii)के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसो तेल (फॉचूर्न ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

891

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) अप्रार्थी श्री बालचन्द शभनानी पुत्र मोहनदास शभनानी जाति सिन्धी निवासी श्याम मन्दिर के पास इन्द्रा कॉलोनी निवाई जिला टोंक मैसर्स सोनू जनरल स्टोर झिलाई रोड निवाई जिला टोंक पर शास्ती 2,000/- (अक्षरे दो हजार रू0) अप्रार्थी श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन निवासी 17/58 वाटर वर्क्स के पास भगत सिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स गोविन्द ट्रेडिंग कम्पनी भगतसिंह कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0 पर शास्ति 3,000 (अक्षरे तीन हजार रू0) अप्रार्थी श्री लवकेश चौपडा नॉमिनी मैसर्स अडाणी विलमार लिमिटेड एफ-957 रोड नं. 13 वीकेआई एरिया जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner